Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	प्रा॰पत्र under O39 R7 अस्वीकार किया जाता है। जवाब प्रा॰पत्र under section 212 RTA पूर्व में पेश है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/02/24 को पेश हो। [signature]	
20/02/24	पत्रावली पेश। अधि॰ अप्रार्थी द्वारा प्रा॰पत्र 212 पर बहस की गई। वास्ते बहस अप्रार्थी पत्रावली दिनांक 26/02/24 को पेश हो। [signature]	
26/2/24	पत्रावली पेश। अधि॰ अप्रार्थी द्वारा प्रा॰पत्र 212 पर बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 01/3/2024 को पेश हो। [signature]	
01/3/24	पत्रावली पेश। अधि॰ अप्रार्थी की T.I. प्रा॰पत्र धारा 212 RTAct पर बहस सुनी गई। वास्ते प्रा॰पत्र पर आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 14/3/2024 को पेश हो। [signature]	
14/03/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष बहस पर मनन किया	

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

rt of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

e.	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	गया। मुताबिक बहस प्रार्थी - " विवादित भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं॰ 01 की 2 सहखातेदार हैं। अप्रार्थी सं॰ 01, प्रार्थी के हक-हिस्से में दखल पैदा कर रहा है। अतः अप्रार्थी सं॰ 01 को इस आशय की TI से पाबंद किया जावे कि मूलवाद निस्तारण तक बेचान, हस्तांतरण ना करे एवं प्रार्थी के काश्त में दखलअंदाजी ना करें।" मुताबिक बहस अप्रार्थी सं॰ 01 अधि- " विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं है, यह भूमि जरिए रजि. बैयनामा खरीद की गई है। सहखातेदारों के बीच बंटवारा हो चुका है, दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से में काबिज हैं। दोनों हिस्सों का demarcation मौके पर किया हुआ है। अतः प्रा॰ पत्र खारिज किया जावे।" उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा॰ पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- " प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रा॰ पत्र अस्वीकार किया जाता है।" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफतर हो। [signature]	